P.M 62 -
06.03-21

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

न्यायालय उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा

अधिहरण वाद सं0 –31/2020–21

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,गढ़वा

बनाम

दशरथ साव

आदेश

यह वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा के पत्रांक 1877/आ0,दिनांक 02.12.2020 द्वारा खरौंधी थाना अन्तर्गत ग्राम–चौरिया में दशरथ साव पिता–चमन साव के घर में जप्त किया गया जन वितरण प्रणाली की भण्डारित 193 बोरा चावल(प्रत्येक बोरा में 50 किलोग्राम चावल)अधिहरण करने हेतु किया गया अनुरोध पर प्रारम्भ किया गया है।

विपक्षी दशरथ साव को सूचना निर्गत किया गया। सूचना प्राप्ति के पश्चात विपक्षी दशरथ साव की ओर से जवाब दाखिल किया गया। जवाब में उनका कहना है कि जप्त 193 बोरा प्रत्येक बोरा 50 किलोग्राम जिसका कुल वजन 96 क्विंटल 50 किलोग्राम है, का मालिक विपक्षी है। उक्त जप्त चावल का दूसरा कोई दावेदार नहीं है। विपक्षी निर्दोष है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। जन वितरण प्रणाली का चावल होने की संदेह के आधार पर दिनांक 15.10.2020 को विपक्षी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि वे दिनांक 8.10.2020 को सोनालिका राईस प्रोसेसिंग से चावल क्रय किये थे। उक्त चावल न तो जन वितरण प्रणाली का होने का साक्ष्य है और न उस समय तक चावल चोरी होने का शिकायत ही थाना में दर्ज है। जवाब में आगे उनका यह भी कहना है कि झारखण्ड सरकार के पत्रांक 559 दिनांक 24.4.2020 के द्वारा चावल,गेहूँ,चीनी पर नियंत्रण हटा दिया गया है। उसके लिए परमिट एवं अनुज्ञप्ति को भी मुक्त कर दिया गया है। चावल का व्यापार करने के लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। जवाब में उनके द्वारा अधिहरण की कार्रवाई को स्थगित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा के पत्रांक 1877/आ0,दिनांक 02.12.2020 से जप्त चावल को अधिहरण करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न प्रखंड विकास पदाधिकारी खरौंधी का प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी प्रतिवेदन तथा जप्ती सूची का अवलोकन किया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौखिक समर्पण किया गया कि विपक्षी चावल के व्यापारी हैं। उनके द्वारा दिनांक 8.10.2020 को सोनालिका राईस प्रोसेसिंग औरंगाबाद(बिहार)में 200 बोरा प्रति बोरा 50 किलोग्राम चावल जिसका कीमत मो0 2,25,000/–(दो लाख पच्चीस हजार रूपये है),कयकर व्यापार हेतु घर में रखे थे जिसे जन वितरण प्रणाली का चावल होने का संदेह जताते हुए नजायज तरीके से जप्त किया गया है। विपक्षी निर्दोष है। तर्क में उनके द्वारा जप्त चावल को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा के पत्रांक 1877/आ0,दिनांक 02.12.2020 से प्राप्त प्रखंड विकास पदाधिकारी खरौंधी के प्रतिवेदन एवं जप्ती सूची से स्पष्ट होता है कि जप्त चावल के विरूद्ध खरौंधी थाना में थाना काण्ड संख्या 132/20 दिनांक 15.10.2020 दर्ज है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी खरौंधी का प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी थाना प्रभाारी खरौंधी को प्रेषित पत्र में स्पष्टतः उल्लेख है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा एवं अनुमण्डल पदाधिकारी श्री वंशीधर नगर के उपस्थिति में दिनांक 15.10.20 को ग्राम–चौरिया के दशरथ साव के घर में छापेमारी के दौरान उनके घर में खाद्यान्न आपूर्ति (जन वितरण प्रणाली) का चावल पाया गया जिसके संबंध में दशरथ साव द्वारा उक्त 193 जूट एवं प्लास्टीक बोरा में रखे गये चावल का कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया। उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम का 10 (दस) जूट के बोरा में प्रति बोरा 50(पचास)किलोग्राम चावल,सदा रंग के प्लास्टीक बोरा (PDS) 183 (एक सौ तीरासी) बोरा चावल एवं भारतीय खाद्य निगम का जूट का 185(एक सौ पचासी)खाली बोरा उपस्थित ग्रामीणों के बीच जप्त कर घर को सील कर दिया गया।

इस प्रकार विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल जवाब वो कागजात के साथ–साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी गढ़वा द्वारा जप्त चावल का अधिहरण हेतु समर्पित पत्र के साथ संलग्न प्रखण्ड विकास पदाधिकारी खरौंधी का प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी पत्र वो जप्ती सूची से स्पष्ट होता है कि विपक्षी दशरथ साव द्वारा जन वितरण प्रणाली का चावल अवैध तरीके से क्रय कर कालाबाजारी करने के नियत से घर में रखा गया था जो जनहीत के प्रतिकूल है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का यह कथन कि दशरथ साव द्वारा उक्त जप्त चावल Sonalika Rice Processing औरंगाबाद (बिहार) से क्रय कर व्यापार के लिए रखा गया था, भ्रामक एवं निराधार प्रतीत होता है। यदि उक्त चावल व्यापार के लिये, Sonalika Rice Processing औरंगाबाद से क्रय करने का कागजात उनके पास पूर्व से ही था तो छापेमारी के क्रम में उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए था। साथ ही उक्त जप्त चावल जन वितरण प्रणाली बोरा में भरा रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि सत्य को छुपाने के नियत से उनके द्वारा छापेमारी के बाद 08.10.2020 की तिथि में चावल क्रय करने संबंधी कागजात तैयार किया गया है जो कालाबाजारी को छुपाने का प्रयास का द्योतक है।

फलतः उपर्युक्त सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी,गढ़वा के पत्रांक 1877/आ0,दिनांक 02.12.2020 में वाद से संबंधित वर्णित भण्डारित 193 बोरा चावल प्रत्येक बोरा में 50 किलोग्राम जन वितरण प्रणाली की चावल है, जिसका अधिहरण किया जाता है एवं अनुमण्डल पदाधिकारी,श्री वंशीधर नगर को आदेश दिया जाता है कि उक्त जब्त चावल नियमानुसार खुला डाक कराकर प्राप्त राशि को जिला नजारत में एक सप्ताह के अंदर जमा करावें।

लेखापित एवं संशोधित

9/2/21

उपायुक्त
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

9/2/21

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.26 17:15:18 +05:30
Location: 192.168.43.248